



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1969]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936

No. 1969]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

का.आ. 2492(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 और 1051(अ) दिनांक 24 अप्रैल, 2009 के द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 89 को राजस्थान राज्य सरकार (जो इसके बाद "प्राधिकरण के रूप में उल्लिखित है) को सुपुर्द कर दिया है।

और जबकि, प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 89 के किमी 0.000 [डिजाइन चैनेज किमी 0 .000] से किमी 161.000 [डिजाइन चैनेज किमी 148.250] तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 89 (डिजाइन लंबाई 148.25) को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन बनाने (जो इसके आगे "कथित खंड" के रूप में उल्लिखित है) के लिए 18.01.2012 को प्रस्तुत निविदा के लिए सफल निविदादाता जीवीआर अजमेर-नागौर टोलवे प्रा. लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 9वां और 10वां तल, वीवीसी सोलीटियर, सं. 47, 49 बाजुल्लाह रोड, टी. नगर, चेन्नै-600017, भारत है (जो इसके आगे "रियायतग्राही" के रूप में उल्लिखित है) के साथ 31.10.2012 को एक करार (जो इसके आगे "करार" के रूप में उल्लिखित है), किया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित तथा बोली प्राप्ति की तारीख तक संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, कथित खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, यथोचित प्रतिलाभ, यातायात की मात्रा तथा प्राधिकरण और

रियायतग्राही के बीच संपन्न करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि कथित खंड का प्रयोग करने के लिए यांत्रिक वाहन पर 115.00 किमी की लंबाई वाले निबल सड़क खंड के लिए 2 लेन के खंडों के प्रयोग हेतु तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर से आधार दर का 60% और 33.25 किमी की कुल लंबाई के 2 बाइपासों पर नीचे तालिका-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों की किस्मों पर तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर से आधार दर के 90% की दर से शुल्क प्रभारित और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को, प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से और यथा-स्थिति प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर अथवा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर करार में यथा-विनिर्दिष्ट करार समापन की तारीख तक, इसमें से जो भी बाद में हो, शुल्क का संग्रहण करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत संग्रहीत और उद्ग्रहीत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी:—

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
रारा-89 पर विद्यमान चैनेज किमी/चैनेज 33.348 (डिजाइन चैनेज किमी 25.000) (नागौर जिले में बड़ीघाटी गांव के निकट)	44.65	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%
रारा-89 पर विद्यमान चैनेज किमी/चैनेज 118.936 (डिजाइन चैनेज किमी 111.000) (नागौर जिले में बुटाटी गांव के निकट)	70.35	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं पर, निम्नलिखित बाइपासों का प्रयोग करने के लिए, जिसकी लागत इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, निम्नलिखित फीस भी देय और भुगतान योग्य होगी:—

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम और लंबाई (किमी) जिसके लिए अतिरिक्त फीस का भुगतान किया जाएगा	बाइपास/संरक्षण की लागत (करोड़ रु.)	भुगतान योग्य फीस दर
रारा-89 पर विद्यमान चैनेज किमी/चैनेज 33.348 (डिजाइन चैनेज किमी 25.000) (नागौर जिले में बड़ीघाटी गांव के निकट)	22.00 किमी लंबा अजमेर-पुश्कर बाइपास जो रारा-08 के किमी 386.341 (डिजाइन चैनेज किमी 0.000) से प्रारंभ और रारा-89 के किमी 30.350 (डिजाइन चैनेज 22/000) पर विलय होगा।	86.25	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 90%
	3.35 किमी लंबा थनवाला बाइपास जो रारा-89 के किमी 36.950 (डिजाइन चैनेज किमी 28.600) से प्रारंभ होकर और रारा-89 के किमी 39.600 (डिजाइन चैनेज 31.950) पर विलय होगा।	10.21	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 90%

रारा-89 पर विद्यमान चैनेज किमी/चैनेज 118.936 (डिजाइन चैनेज किमी 111.000) (नागौर जिले में बुटाटी गांव के निकट)	4.20 किमी लंबा कुचेरा बाइपास जो रारा-89 के किमी 122.150 (डिजाइन चैनेज किमी 114.050) से प्रारंभ और किमी 125.750 (डिजाइन चैनेज 118/250) पर विलय होगा।	12.51	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 90%
	3.70 किमी लंबा इनाना बाइपास जो रारा-89 के किमी 148.500 (डिजाइन चैनेज किमी 140.450) से प्रारंभ और किमी 152.800 (डिजाइन चैनेज 144/150) पर विलय होगा।	11.02	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 90%

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2014-15 के लिए 225.00 रु. (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास या अधिक	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. नियमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन किसी राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता। ऐसे अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार लदे वाहन का प्रवेश करवाते समय पथकर संग्रहण एजेंसी को नियमावली के अंतर्गत यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क का 10 गुना के समतुल्य शुल्क अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना परियोजना राजमार्ग के पूर्ण हो चुके भाग की लंबाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे रियायतग्राही के माध्यम से प्रत्येक अंग्रेजी और देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् कथित नियमों के नियम 5 और रियायत करार के उपबंध के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित कराया और प्रकाशित कराया जाएगा बशर्ते कि फीस के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 महीनों की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37016/3/2012-एनएचडीपी-IVए]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2014

S.O. 2492(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport & Highways), number S.O.1096(E), dated 4th August, 2005 and 1051(E), dated 24th April, 2009 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted National Highway No. 89 in the State of Rajasthan to the State Government of Rajasthan (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Authority has entered into an Agreement on 31.10.2012 (hereinafter referred to as said “Agreement”) with M/s GVR AJMER - NAGAUR TOLLWAY PRIVATE LIMITED, having its Registered Office at VBC Solitaire, 9th & 10th Floors, No. 47, 49 Bazullah Road, T. Nagar, Chennai–600017, India, (hereinafter referred to as “Concessionaire”), for the bid submitted on 18.01.2012 for the Development of Ajmer-Nagaur section of NH-89 from Km 0.000 [Design Chainage Km 0.000] to Km 161.000 [Design Chainage Km 148.250] of National Highway No. – 89 (Design Length – 148.25 Km) in the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the “said section”) by Two-laning with Paved Shoulder through Public Private Partnership on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and Amended upto the date of receipt of the bid (herein referred to as the “Rules”), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at 60% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 115.00 Kms for use of the two lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) and at 90% of the rate specified in column (2) of the Table 1 on four bypasses of total length 33.25 Kms on the Types of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the date of commercial operation (COD) and on getting the completion certificate or the provisional certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the Agreement;

Table 1

Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (In Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle. (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles. (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which the fee is payable
Existing Chainage Km/Ch 33.348 (Design Chainage Km 25.000) on NH-89 (near village Badighati in Nagaur District)	44.65	60% of the base rates mentioned in Table 1 above
Existing Chainage Km/Ch 118.936 (Design Chainage Km 111.000) on NH-89 (near village Butati in Nagaur District)	70.35	60% of the base rates mentioned in Table 1 above

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of following bypasses, cost of which is specified hereunder and at the following toll plaza(s):

Location of Toll Plazas (chainage)	Name & Length (in Km) of the bypass for which additional Fee is payable	Cost of Bypass/realignment (Rs. In crore)	Rate at which the fee is payable
Existing Chainage Km/Ch 33.348 (Design Chainage Km 25.000) on NH-89 (near village Badighati in Nagaur District)	Ajmer-Pushkar Bypass of 22.00 Km length taking off at Km 386.341 of NH-8 [Design Chainage Km 0.000] and merging at Km 30.350 of NH-89 [Design Chainage Km 22.000]	86.25	90% of the base rates mentioned in Table 1 above
	Thanwala Bypass of 3.35 Km length taking off at Km 36.950 of NH-89 [Design Chainage Km 28.600] and merging at Km 39.600 of NH-89 [Design Chainage Km 31.950]	10.21	90% of the base rates mentioned in Table 1 above
Existing Chainage Km/Ch 118.936 (Design Chainage Km 111.000) on NH-89 (near village Butati in Nagaur District)	Kuchera Bypass of 4.20 Km length taking off at Km 122.150 [Design Chainage Km 114.050] and merging at Km 125.750 of NH-89 [Design Chainage Km 118.250]	12.51	90% of the base rates mentioned in Table 1 above
	Inana Bypass of 3.70 Km length taking off at Km 148.500 [Design Chainage Km 140.450] and merging at Km 152.800 of NH-89 [Design Chainage Km 144.150]	11.02	90% of the base rates mentioned in Table 1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highway fee (determination of Rates and collection) Rules, 2008.
4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two – third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicles on the National Highway to the Toll Collecting Agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the Rules.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the project Highway. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. RW/NH-37016/3/2012-NHDP-IVA]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.